न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट लुणी जिला जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री पुखराज कांसोटिया, (RAS)
राजस्व प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :– 36/2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01.श्रीमती मनु धर्मपत्नी स्व9 जेफु खां 02.इंसाफ पुत्र स्व0 जेफु खां 03.सोफिया पुत्री स्व0 जेफु खा 04.रतन पुत्री स्व0 जेफु खा जातियान मुसलमान निवासीगण जे,के, कॉलानी शोभावतो की ढाणी पाल रोड जोधपुर।		01.फिरोज खा पुत्र स्व0 जेफु खा 02.अमजद खन पुत्र नाबालिग जरिये कुदरती वली माता माडू पत्नी फिरोज खा जतियान मुसलमान निवासीगण सिधी बस्ती ग्राम गंगाणा तहसील झंवर जिला जोधपुर। 03.तनवीर (पूर्व नाम ईशाक खा) पुत्र स्व0 जेफु खां जाति मुसलमान निवासी वाईट हाउस सुभाष नगर जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा।
उपस्थित अधिवक्ता।
01.प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मोहनराम सागर उपस्थित।
02.अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता घेवरराम विश्नोई उपस्थित।

निर्णय दिनांक 10/7/2024

प्रार्थना–पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम डोली वर्तताान ग्राम केरला के पुराने खसरा न नम्बर 624/1रकबा 86 बीधा 10 बिस्वा वर्तमान खसरा नम्बर 1021/624 रकबा 14.0021 हैक्टर भूमि खरीद की एव प्रतिफल की सम्पूर्ण राशि प्रार्थीगण के पूर्वज जैफु खा व प्रार्थीनी संख्या 1 द्वारा ही अदा की गई एव उक्त भूमि पर कब्जा वक्त खरीद से प्रार्थीनी संख्या 1 का है। बेचाननामे मे फिरोज खा व ईशाक खा पिसरान जेफु खा दर्ज किया गया। ईशाक खां पुराना नाम है वर्तमान मे इशाक खां का नाम तनवीर है जो अप्रार्थी संख्या 3 है। जेफु खा ने अपने जीवनकाल मे प्रार्थीनी संख्या 01 श्रीमती मनु से शादी की थी एव उनके दो लडके इंसाफ और तनवीर तथा दो लडकिया सोफिया एव रतन पैदा हुई। जेफु खा के फिरोज नाम का कोई लडका नही था लेकिन बेचाननामा मे नाम कैसे दर्ज हुआ इसकी जानकारी प्रार्थीगण को नही थी। फिरोज खा की वर्तमान मे उम्र लगभग 48 वर्ष है एव उसके अनुसार बेचान के समय फिरोज खा की उम्र लगभग 16 वर्ष होकर वह नाबालिग था फिरोज खा कुछ भी कमाता नही था इसलिए उसके द्वारा कोई प्रतिफल राशि अदा नही की गई। वास्तविक मे जेफु खा की माता का नाम सायरा था एव फिरोज खा सायरा का पुत्र है परन्तु फिरोज खा रेकर्ड एव दस्तावेजो मे अपने आप को जेफु खा जी का पुत्र लिखता है जहा तक प्रार्थीगण को जानकारी है वास्ताविकता मे जेफु खा जी के फिरोज खा नाक का कोई पुत्र नही था जेफु खा जी का राशन कार्ड भी बना हुआ है जिसमे उक्त बच्चो का नाम दर्ज है फिरोज खा नाम का कोई पुत्र का नाम दर्ज नही है। पुराने खसरा नम्बर 624/1 की 86 बीधा 10 बिस्वा वर्तमान खसरा 1021/624 की 14.0021 हैक्टर भूमि पर कब्जा मोके पर प्रार्थीगण का है उक्त भूमि के कुछ भाग मे प्रार्थीगण की पत्थर की पट्टिया लगी हुई है एव कुछ भाग मे छीणे लगाकर तारबदी की हुई है अदर प्रार्थीगण का एक कमरा बना हुआ है जिसमे प्रार्थीगण का चौकीदार बीजाराम भील सपरिवार निवास करता है इसके अलावा अन्य भी ढालिये इत्यादि बने हुए है। उक्त भूमि पर वक्त खरीद यानि वर्ष 1992 से ही कब्जा प्रार्थीनी संख्या 1 का है प्रार्थीनी संख्या 01 वादग्रस्त भूमि पर पिछले 32 साल से काबिज है तथा भूमि को उपयोग मे ले रही है एव जेफु खा के देहात के पश्चात अन्य प्रार्थीगण का भी कब्जा हो गया उक्त भूमि पर प्रार्थीगण की काश्त करते है फसल बोते है एव अवेरते है प्रार्थीगण के अलावा अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का न तो मौके पर कभी भी कब्जा रहा न ही उपयोग उपभोग रहा। वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण की बहेसियत खातेदारी की कब्जा व काश्त की तथा उपयोग व उपभोग की कृषि भूमि है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर से मौके पर से जबरन बेदखल कर दिया जाता है अथवा वादग्रस्त भूमि का अन्य किसी व्यक्ति के पक्ष मे अप्रार्थीगण द्वारा हस्तारण अथवा बेचान कर दिया जाता है अथवा गिरवी या रहन रख दिया जाता है तो प्रार्थीगण को ही अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भविष्य मे कभी भी क्षतिपूर्ती नही हो सकेगी तथा प्रार्थी गण द्वारा पेश किया गया मूल वाद भी निरर्थक मात्र रह

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

जायेगा ऐसी स्थिति मे प्रमाणित है कि सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के ही पक्ष मे है तथा मूल वाद के निस्तारण तक राजस्व रेकर्ड एव मौके की स्थिति बनाये रखे जाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 01 एव 02 की और से अधिवक्ता घेवरराम विश्नोई द्वारा वकालतनामा मय जबाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया अप्रार्थीगण संख्या 03 सूचना के बावजूद उपस्थित नही अप्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के सम्पूर्ण तथ्यो का खण्डन किया गया तथा प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

अप्राथीगण अधिवक्ता द्वारा अपने जबाव के तथ्यो को दोहरते हुवे बहस मे बताया गया कि जेफु खा अप्रार्थी संख्या 01 के पिता व अप्रार्थी सख्या 02 के दादाजी थें अप्रार्थी सख्या 01 द्वारा ग्राम डोली वर्तताान ग्राम केरला के पुराने खसरा नम्बर 624/1 रकबा 86 बीधा 10 बिस्वा वर्तमान खसरा नम्बर 1021/624 रकबा 14.0021 हैक्टर भूमि मे 1/2 हिस्सा स्वयं द्वारा खरीद किया गया है जो स्व अर्जित सम्पति है खरीद के समय अप्रार्थी संख्या 01 के पिता जीवित थे जो अप्रार्थी सख्या 01 के साथ ही रहते थे उक्त खसरा की भूमि को अप्रार्थी संख्या 01 के साथ ही रहते थे उक्त खसरा की भूमि को अप्रार्थी संख्या 01 ने स्वय ने खरीद की थी तथा सम्पूर्ण प्रतिफल की राशि स्वय द्वारा ही अदा की गई थी प्रार्थीगण को इस खसरान् की भूमि से कोई लेना देना नही है तथा न ही कोई हक व अधिकार है वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्सा का एक मात्र मालिक अप्रार्थी संख्या 01 है जो अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रतिफल की राशि अदा की भूमि की खरीद की गई जो स्वअर्जित सम्पति है वादग्रस्त भूमि के 1/2 हिस्से पर खरीद से ही अप्रार्थी संख्या 1 काबिज व काश्त करते आ रहे हैं उक्त भूमि अप्रार्थी संख्या 01 के द्वारा खरीद सुदा होने से स्व अर्जित सम्पति है। इसलिए प्रथम दृष्ट्या मामला सुविधा का सतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत अप्रार्थी सख्या 01 के पक्ष मे है प्रार्थीगण का उक्त भूमि मे कोई हक व अधिकार निहीत नही है अनावश्यक रूप से वादमय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो खारिज किया जाने योग्य प्रतीत होता है खारिज किया जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया कि विवादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम डोली वर्तताान ग्राम केरला के पुराने खसरा नम्बर 624/1 रकबा 86 बीधा 10 बिस्वा वर्तमान खसरा नम्बर 1021/624 रकबा 14.0021 हैक्टर अप्रार्थीगण को मूल वाद के अन्तिम निस्तारण तक पाबन्द किया गया जावे कि प्रार्थीगण के कब्जा काश्त कृषि भूमि मे किसी प्रकार की दखलअन्दाजी न तो स्वय करे न अन्य किसी से करावे तथा प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा उक्त वादग्रस्त कब्जा काश्त भूमि मे अप्रार्थीगण सख्यां 01 से 03 को मूल वाद तक पाबन्द किया जावे कि मूल वाद के निस्तारण तक दखल अन्दाजी ना स्वंय करे तथा ना ही अन्य किसी से करावे एव राजस्व रेकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाय रखे जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह जाहिर है कि ऐसी स्थिति मे प्रथम दृष्ट्रया मामला एव सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष मे बनना पाया जाता है तथा यदि अप्रार्थीगण ऐसा करने मे सफल हो जाते है तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होने की प्रबल संभावना है ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण के हक मे अतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है जिसको मूल वाद के अंतिम निरस्तारण तक जारी की जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है कि विवाद ग्रस्त कृषि भूमि ग्राम डोली वर्तताान ग्राम केरला के पुराने खसरा नम्बर 624/1 रकबा 86 बीधा 10 बिस्वा वर्तमान खसरा नम्बर 1021/624 रकबा 14.0021 हैक्टर मे मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखे तथा किसी विशेष भू–भाग का बेचान हस्तान्तरण नही करे एव न ही उक्त खसरान की कृषि भूमियो को खुर्द –बूर्द इत्यादि नही करे आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

(पुखराज कांसोटिया आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी